



4/11

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 308 / 28 / 76 / एक / 2018-19

दिनांक : 27 अप्रैल 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-एटा।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण  
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50318949184	IFSC Code ALLA0210457	✓ 95.274

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	एटा	मु०अ०-37	न०पा०पा० एटा	मलिन बस्ती मौ० अशोकनगर में देशराजसिंह के मकान से हरओम के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	4.555
2	एटा	मु०अ०-37	न०पा०पा० एटा	मलिन बस्ती मौ० अशोकनगर में अंगूरीदेवी के मकान से बलवीर सिंह के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	2.687
3	एटा	मु०अ०-37	न०पा०पा० एटा	मलिन बस्ती मौ० प्रेमनगर में हदेश नारायण कुलश्रेष्ठ के मकान से राजकुमार के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	4.742
4	एटा	मु०अ०-37	न०पा०पा० जलेसर	वार्ड संख्या-06 के अंतर्गत मलिन बस्ती सरायखानम में रामजीलाल के मकान वाली गली में नाली एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	1.726
5	एटा	मु०अ०-37	न०पा०पा० जलेसर	वार्ड संख्या-06 के अंतर्गत मलिन बस्ती सरायखानम में हरीशंकर के घर से तेजवीर के घर तक तथा हरीप्रदसाद के घर से राधेश्याम के घर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	1.157
6	एटा	मु०अ०-37	न०पा०पा० जलेसर	वार्ड संख्या-06 के अंतर्गत मलिन बस्ती सरायखानम में प्यारेलाल के घर से रूपकिशोर के घर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	4.093



51/2

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व मु०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
7	एटा	मु०अ०-37	न०पा०प० जलेसर	वार्ड संख्या-06 के अंतर्गत मलिन बस्ती सरायखानम में सादिक के घर से होडल सिंह के घर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.556
8	एटा	मु०अ०-37	न०पा०प० जलेसर	वार्ड संख्या-10 के अंतर्गत मलिन बस्ती शेरगंज में सरवर के मकान से रफीक के मकान तक नाली एवं सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	1.859
9	एटा	मु०अ०-37	न०पा०प० जलेसर	वार्ड संख्या-13 के अंतर्गत मलिन बस्ती महावीरगंज में आशादेवी के घर से राजपाल सिंह से श्री योगेन्द्र व आशा के प्लाट तक नाली एवं सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	6.891
10	एटा	मु०अ०-37	न०प० सकीट	मलिन बस्ती मौ० काजी पश्चिमी में नूरमुहम्मद के घर से जहीर के घर होते हुए अनवार के घर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	5.147
11	एटा	मु०अ०-37	न०प० सकीट	मलिन बस्ती मौ० उरहेना में रामभरोसे के घर से जागेश्वर सिंह के घर के घर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	4.346
12	एटा	मु०अ०-37	न०प० सकीट	मलिन बस्ती मौ० काजी में मजार से डा० मानसिंह के घर से शेष बाई पास रोड पर नाली एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	2.215
13	एटा	म०ब०-83	न०पा०प० मारहरा	वार्ड न०-4 के अंतर्गत मौ० कम्बोह में हिन्दु मुस्लिम इण्टर कॉलेज से निरंजन के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.973
14	एटा	म०ब०-83	न०पा०प० मारहरा	वार्ड न०-4 के अंतर्गत मौ० कम्बोह में निरंजन के मकान से मायावती कन्या इण्टर कालेज तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.912
15	एटा	म०ब०-83	न०पा०प० मारहरा	वार्ड न०-1 के अंतर्गत मौ० महमूदगंज (कायस्थान) में रामसनेही के मकान से मुकेश के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.343
16	एटा	म०ब०-83	न०पा०प० मारहरा	वार्ड न०-1 के अंतर्गत मौ० महमूदगंज (कायस्थान) में धमेन्द्र के मकान से रंजीता के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.087
17	एटा	म०ब०-83	न०पा०प० एटा	मलिन बस्ती मौ० कृष्णानगर में गंजडुण्डवारा रोड से विभिन्न गलियों (सुभाष, रविन्द्रसिंह, जोधासिंह आदि) में इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.145
18	एटा	म०ब०-83	न०पा०प० एटा	मलिन बस्ती मौ० जगन्नाथपुरी में कैलाशचन्द्र के मकान से टीटू हलवाई के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.601



41/3

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
19	एटा	म०ब०-83	न०पा०प० एटा	मलिन बस्ती अवंतीबाई नगर में उजीरसिंह के मकान से रामनिवास के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.228
20	एटा	म०ब०-83	न०पा०प० एटा	मलिन बस्ती मौ० लोधीनगर में लेखराज के मकान से लज्जादेवी के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.522
21	एटा	म०ब०-83	न०पा०प० एटा	मलिन बस्ती मौ० लोधीनगर में जितेन्द्र वर्मा वाली गली में इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.035
22	एटा	म०ब०-83	न०पा०प० एटा	मलिन बस्ती मौ० लोधीनगर में चन्द्रपाल के मकान से महेशचन्द्र वर्मा, खेमकरन के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.398
23	एटा	म०ब०-83	न०पा०प० जलेसर	वार्ड संख्या-07 के अंतर्गत मलिन बस्ती नकटा कुआ में सोनपाल के घर से रामवीर के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.770
24	एटा	म०ब०-83	न०पा०प० जलेसर	वार्ड संख्या-07 के अंतर्गत मलिन बस्ती नकटा कुआ में श्यामलाल के घर से सुनहरी के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.286
	योग				95.274

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।



41/4

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027  
Website-suda.org

- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक